



GOVERNMENT OF RAJASTHAN MAA JALPA DEVI GOVERNMENT COLLEGE,

TARANAGAR (CHURU) RAJASTHAN 331304

Website: hte.rajasthan.gov.in/college/gctaranagar Email:-mjdtaranagar@gmail.com Ph.No:-01561-241607

DVV CLARIFICATION: 5.1.4

Banner and Grievance box

माँ जालपा देवी राजकीय महाविद्यालय
तारानगर (चूरु)

संस्थाध्यक्ष द्वारा की जानेवाली कार्यवाही

रैगिंग विरोधी दल अथवा सम्बन्धित द्वारा रैगिंग की सूचना प्राप्त होने पर संस्थाध्यक्ष तुरन्त सुनिश्चित करें कि क्या कोई अवैध घटना हुई है और यदि हुई है तो वह स्वयं अथवा उसके द्वारा अधिकृत रैगिंग विरोधी समिति से सूचना प्राप्त के 24 घंटे के भीतर प्राथमिकी दर्ज कराएँ अथवा रैगिंग से सम्बन्धित विधि के अनुसार संस्तुति दें।

रैगिंग के अतर्गत निम्नलिखित अपराध आते हैं :-

1. रैगिंग हेतु उकसाना ।
2. रैगिंग का आपराधिक षडयंत्र ।
3. रैगिंग के समय अवैध ढंग से एकत्रित होना तथा उत्पात करना ।
4. रैगिंग के समय जनता को बाधित करना ।
5. रैगिंग के द्वारा शालीनता और नैतिकता भंग करना ।
6. शरीर को चोट पहुँचना ।
7. गलत ढंग से कार्य से रोकना ।
8. आपराधिकबल प्रयोग ।
9. प्रहार करना, यौन संबंधी अपराध अथवा अप्राकृतिक अपराध ।
10. बालात् कब्जे में रखना ।
11. आपराधिक ढंग से बिना अधिकार दूसरे के स्थान में प्रवेश करना ।
12. सम्पत्ति से सम्बन्धित अपराध ।
13. आपराधिक धमकी ।
14. मुसीबत में फंसे व्यक्तियों के प्रति उपयुक्त में से कोई अथवा सभी अपराध करना ।
15. उपयुक्त में से कोई एक अथवा सभी अपराध पीड़ित के विरुद्ध करने हेतु धमकाना ।
16. शारीरिक अथवा मानसिक रूप से अपमानित करना ।
17. रैगिंग की परिभाषा से सम्बन्धित सभी अपराध रैगिंग अपराध में सम्मिलित हैं। यह भी उल्लेख किया जाता है कि संस्थाध्यक्ष रैगिंग की घटना की सूचना तुरन्त जिला स्तरीय रैगिंग विरोधी समिति तथा सम्बद्ध विश्वविद्यालय के नोडल अधिकारी को दें। संस्था इन विनियम के खण्ड 9 के अधीन अपनी जाँच और उपाय पुलिस तथा स्थानीय अधिकारियों द्वारा की जाने वाली कार्यवाही की प्रतीक्षा किए बिना प्रारम्भ कर दें और घटना के एक सप्ताह के भीतर औपचारिक कार्यवाही पूरी कर ली जाए।

Taranagar, Rajasthan, India
Mochi Mohalla, wardNo 6, Taranagar, Rajasthan 331304, India
Lat 28.660329°
Long 75.037796°
26/06/24 03:53 PM GMT +05:30

GPS Map Camera

Google



माँ जालपा देवी राजकीय महाविद्यालय तारानगर (चूरु)

रैगिंग की घटनाओं पर प्रशासनिक कार्यवाही

किसी छात्र को रैगिंग का दोषी पाए जाने पर संस्था द्वारा निम्नलिखित विधि, अनुसार दण्ड दिया जाएगा :-

- क रैगिंग विरोधी समिति दण्ड के सम्बन्ध में उचित निर्णय लेगी अथवा रैगिंग की घटना के स्वरूप एवं गम्भीरता को देखते हुए अपनी संस्तुति देगी।
- ख रैगिंग विरोधी समिति किए गए अपराध के स्वरूप और गम्भीरता को देखते हुए निम्नलिखित में से कोई एक अथवा अनेक दण्ड देगी :-
 1. कक्षा में उपस्थित होने से रोक तथा महाविद्यालय से निलम्बन।
 2. छात्रवृत्ति/छात्र अध्येतावृत्ति तथा अन्य लाभों को रोकना वंचित करना।
 3. किसी टैस्ट/परीक्षा अथवा अन्य मूल्यांकन प्रक्रिया में उपस्थित होने से वंचित करना।
 4. परीक्षा परिणाम रोकना।
 5. किसी प्रादेशिक, राष्ट्रीय अथवा अन्तर्राष्ट्रीय मीट, खेल, युवा महोत्सव आदि में संस्था का प्रतिनिधित्व करने से वंचित करना।
 6. प्रवेश रद्द करना।
 7. संस्था से 04 सत्रों तक के लिए निष्कासित करना।
 8. संस्था से निष्कासित और परिणाम स्वरूप किसी भी संस्था में निश्चित अवधि तक निष्कासित करना। जब रैगिंग करने अथवा रैगिंग करने के लिए भड़काने वाले व्यक्तियों की पहचान हो सके तो संस्था सामूहिक दण्ड का आश्रय लें।

अपनाना।
को वितरित करना।

ोजन।

गणन।

प्रचार-प्रसार करने के

गन।

ओ' एवं अन्य सरकारी

मानों के

तायं
डी. मीना)



Taranagar, Rajasthan, India

Mochi Mohalla, wardNo 6, Taranagar, Rajasthan 331304, India

Lat 28.66028°

Long 75.037663°

26/06/24 03:55 PM GMT +05:30




GPS Map Camera



GPS Map Camera



Taranagar, Rajasthan, India
Mochi Mohalla, wardNo 6, Taranagar, Rajasthan 331304, India
Lat 28.660246°
Long 75.03767°
26/06/24 04:01 PM GMT +05:30



Thanks